

# बिहार गजट असाधारण अंक

## असाधारण अंक बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 श्रावण 1941 (श0) (सं0 पटना 884) पटना, बुधवार, 31 जुलाई 2019

विधि विभाग

अधिसूचना 31 जुलाई 2019

सं० एल०जी०—01—12 / 2019—5181 / लेज |——बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 29 जुलाई 2019 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्व—साधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।

### [बिहार अधिनियम 11, 2019] बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019

बिहार राज्य की संचित निधि में से कतिपय राशि की निकासी 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान सेवाओं के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो ।-

- 1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-
  - (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019 कहा जा सकेगा ।
  - (2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।
  - (3) यह 01 अप्रील 2019 के प्रभाव से प्रवृत्त होगा ।
- 2. 2019-20 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से कुल 14330,06,57,000 (चीदह हजार तीन सी तीस करोड़ छः लाख सतावन हजार) रूपये की निकासी I- बिहार राज्य की संचित निधि में से इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष के दौरान भुगतान के सिलिसले में होने वाले विभिन्न व्यय की पूर्ति के लिए, कुल 14330,06,57,000 (चौदह हजार तीन सौ तीस करोड़ छः लाख सतावन हजार) रूपये, जो इस अधिनियम की अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लिखित राशि से अधिक न होगा, निकाले जा सकेंगे।
- 3. विनियोग-I- इस अधिनियम के अधीन बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशि, 01 अप्रील, 2019 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूची में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए होगी और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी।

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग /	्रेम से संबंधित संग्र मा		अनिधक राशियां (रूपयों में)			
विनियोग संख्या	विनियोग	राजस्व पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
01	कृषि विभाग	राजस्व	1,19,67,54,000	0	1,19,67,54,000	
01	पृत्रव विमान	पूंजी	0	0	0	
02	पशु एवं मत्स्य संसाधन	राजस्व	68,70,00,000	0	68,70,00,000	
02	विभाग	पूंजी	0	0	0	
03	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	0	0	0	
03	नवरा रिवारी विवारी	पूंजी	1,74,29,10,000	0	1,74,29,10,000	
04	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	53,15,000	0	53,15,000	
04	मात्रमञ्जल सायपालय ।पमाग	पूंजी	1,21,43,72,000	0	1,21,43,72,000	
05	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व	0	0	0	
03	राज्यपाल साचवालय	पूंजी	0	0	0	
06	निर्वाचन विभाग	राजस्व	3,98,27,50,000	0	3,98,27,50,000	
00	। गपापण ।पनाग	पूंजी	0	0	0	

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग /	सेवा से संबंधित मांग या	राजस्व	अ	निधक राशियां (रूपयों व	में)
विनियोग संख्या	विनियोग	पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
07	Q Q Q	राजस्व	0	0	0
07	निगरानी विभाग	पूंजी	0	0	0
00	कला, संस्कृति एवं युवा	राजस्व	0	0	0
08	विभाग	पूंजी	0	0	0
00		राजस्व	16,23,18,000	0	16,23,18,000
09	सहकारिता विभाग	पूंजी	0	0	0
10	_	राजस्व	16,93,00,00,000	0	16,93,00,00,000
10	ऊर्जा विभाग	पूंजी	0	0	0
1.1	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा	राजस्व	0	0	0
11	वर्ग कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0
10		राजस्व	14,64,50,000	0	14,64,50,000
12	वित्त विभाग	पूंजी	76,70,04,00,000	0	76,70,04,00,000
12		राजस्व	0	0	0
13	सूद भुगतान	पूंजी	0	0	0
1.4		राजस्व	0	0	0
14	ऋण अदायगियां	पूंजी	0	0	0
1.5	3:	राजस्व	77,20,00,000	0	77,20,00,000
15	पेंशन	पूंजी	0	0	0
1.6	÷	राजस्व	69,14,56,000	0	69,14,56,000
16	पंचायती राज विभाग	पूंजी	0	0	0
17		राजस्व	0	0	0
17	वाणिज्य-कर विभाग	पूंजी	0	0	0
10	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण	राजस्व	6,07,19,000	0	6,07,19,000
18	विभाग	पूंजी	0	0	0
	पर्यावरण, वन एवं जलवायु	राजस्व	1,000	0	1,000
19	परिवर्त्तन विभाग	पूंजी	35,71,000	0	35,71,000

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग /	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व	थ 2 जार 5 पख्र	निधक राशियां (रूपयों	में)
विनियोग संख्या		पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
20		राजस्व	74,42,35,000	0	74,42,35,000
20	स्वास्थ्य विभाग	पूंजी	17,51,29,000	0	17,51,29,000
21	S-0	राजस्व	5,49,34,00,000	0	5,49,34,00,000
21	शिक्षा विभाग	पूंजी	3,00,00,00,000	0	3,00,00,00,000
22	11- Front	राजस्व	78,11,34,000	0	78,11,34,000
22	गृह विभाग	पूंजी	79,68,00,000	0	79,68,00,000
23	Tally Gong	राजस्व	3,00,01,000	0	3,00,01,000
23	उद्योग विभाग	पूंजी	0	0	0
24	The state of the s	राजस्व	7,00,000	0	7,00,000
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	पूंजी	0	0	0
25	The substitute of the substitu	राजस्व	4,00,00,000	0	4,00,00,000
23	सूचना प्रावैधिकी विभाग	पूंजी	0	0	0
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व	17,54,85,000	0	17,54,85,000
20	त्रम संसावन विमान	पूंजी	0	0	0
27	विधि विभाग	राजस्व	5,00,000	0	5,00,000
21	ापाव ।पभाग	पूंजी	0	0	0
28		राजस्व	0	0	0
28	उच्च न्यायालय	पूंजी	0	0	0
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व	0	0	0
29	खान एप नूरारप पिनान	पूंजी	0	0	0
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	0	0	0
30	जरपत्तस्त्रक कल्याण विमाग	पूंजी	7,50,00,000	0	7,50,00,000
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	0	0	0
J1	रारापाल काल विभाग	पूंजी	0	0	0
22		राजस्व	0	0	0
32	विधान मंडल	पूंजी	0	0	0

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग /	सेवा से संबंधित मांग या	राजस्व	अनधिक राशियां (रूपयों में)			
विनियोग संख्या	विनियोग	पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग	
1	2	3	4	5	6	
22		राजस्व	6,20,00,000	0	6,20,00,000	
33	सामान्य प्रशासन विभाग	पूंजी	0	0	0	
2.4	<u> </u>	राजस्व	0	0	0	
34	बिहार लोक सेवा आयोग	पूंजी	0	0	0	
25		राजस्व	18,05,78,000	0	18,05,78,000	
35	योजना एवं विकास विभाग	पूंजी	43,48,00,000	0	43,48,00,000	
26	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण	राजस्व	1,000	0	1,000	
36	विभाग	पूंजी	0	0	0	
27		राजस्व	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000	
37	ग्रामीण कार्य विभाग	पूंजी	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000	
20	मद्य निषेध, उत्पाद एवं	राजस्व	12,79,60,000	0	12,79,60,000	
38	निबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0	
20		राजस्व	2,14,84,000	0	2,14,84,000	
39	आपदा प्रबंधन विभाग	पूंजी	0	0	0	
40	राजस्व एवं भूमि सुधार	राजस्व	50,98,97,000	0	50,98,97,000	
40	विभाग	पूंजी	0	0	0	
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	0	0	0	
41	पथ निमाण विमाग	पूंजी	0	0	0	
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व	0	0	0	
42	ग्रामाण विकास विमाग	पूंजी	0	0	0	
42	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व	8,68,60,000	0	8,68,60,000	
43 विज्ञान एवं प्रावैधिर्कः	विज्ञान एव प्रावायका विमान	पूंजी	0	0	0	
4.4	अनुसूचित जाति एवं	राजस्व	45,15,05,000	0	45,15,05,000	
44 अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	पूंजी	0	0	0		
4.5		राजस्व	0	0	0	
45	गन्ना उद्योग विभाग	पूंजी	0	0	0	

अनुसूची (धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग /	सेवा से संबंधित मांग या	राजस्व	अ	निधक राशियां (रूपयों	धिक राशियां (रूपयों में)		
विनियोग संख्या	ाग विनियोग	पूंजी	बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग		
1	2	3	4	5	6		
16	पर्यटन विभाग	राजस्व	7,48,89,000	0	7,48,89,000		
46	प्यटन ।वसाग	पूंजी	0	0	0		
47	परिवहन विभाग	राजस्व	0	0	0		
47	पारवहन विभाग	पूंजी	0	0	0		
48	नगर विकास एवं आवास	राजस्व	1,80,76,95,000	0	1,80,76,95,000		
40	विभाग	पूंजी	50,00,00,000	0	50,00,00,000		
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	0	0	0		
49	जल संसाधन विभाग	पूंजी	0	0	0		
50		राजस्व	7,18,00,000	0	7,18,00,000		
30	लघु जल संसाधन विभाग	पूंजी	80,00,00,000	0	80,00,00,000		
51		राजस्व	11,33,21,61,000	0	11,33,21,61,000		
31	समाज कल्याण विभाग	पूंजी	23,06,27,000	0	23,06,27,000		
	योग राजस्व		56,62,70,48,000	0	56,62,70,48,000		
	योग पूंजी		86,67,36,09,000	0	86,67,36,09,000		
महायोग			1,43,30,06,57,000	0	1,43,30,06,57,000		

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।

31 जुलाई 2019

संo एलoजीo-01-12/2019-5182/लेज—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित और महामिहम राज्यपाल द्वारा दिनांक 29 जुलाई 2019 को अनुमत बिहार विनियोग (संख्या-3) अधिनियम, 2019 का निम्निलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-348 के खंड (3) के अधीन उक्त अधिनियम का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से, संजय कुमार, सरकार के अवर सचिव।

## [Bihar Act 11, 2019] THE BIHAR APPROPRIATION (No.-3) ACT, 2019 AN ACT

TO AUTHORISE PAYMENT AND APPROPRIATION OF CERTAIN AMOUNT FROM AND OUT OF THE CONSOLIDATED FUND OF THE STATE OF BIHAR FOR THE SERVICES DURING THE YEAR ENDING THE THIRTY FIRST DAY OF MARCH, 2020.

Be it enacted by the Legislature of the State of Bihar in the seventieth year of Republic of India as follows:-

- 1. Short title, extent and commencement.—
  - (1) This Act may be called the Bihar Appropriation (No.-3) Act, 2019.
  - (2) It shall extend to whole of the state of Bihar.
  - (3) It shall come intoforce with effect from 1st April 2019.
- 2. Withdrawal of total Rs.- 14330,06,57,000 (Rs. Fourteen thousand three hundred thirty crore six lac fifty seven thousand), out of the Consolidated Fund of the State of Bihar for the year 2019-20.-Total Rs.- 14330,06,57,000 (Rs. Fourteen thousand three hundred thirty crore six lac fifty seven thousand), which will not be more than the amount mentioned in column 6 of the schedule of this Act from The Consolidated Fund of The State of Bihar to meet various expenses to be incurred related to the payment during the year commencing from 01 April, 2019 in relation to the services mentioned in column 2 of the Schedule of this Act.
- 3. Appropriation.— The amount authorized for withdrawal from and out of the Consolidated Fund of the State of Bihar under this Act will be for the purposes and services mentioned in the Schedule concerned related to the year commencing from first day of April, 2019 and will be appropriated in respect of them.

## Schedule (See Sections 2 and 3)

			Sums not exceeding (In Rupees)			
Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
0.1	Agriculture Department	Revenue	1,19,67,54,000	0	1,19,67,54,000	
01		Capital	0	0	0	
02	Animal and Fisheries Resource Department	Revenue	68,70,00,000	0	68,70,00,000	
02		Capital	0	0	0	
02	Building Construction	Revenue	0	0	0	
03	Department	Capital	1,74,29,10,000	0	1,74,29,10,000	
04	Cabinet Secretariat	Revenue	53,15,000	0	53,15,000	
04	Department	Capital	1,21,43,72,000	0	1,21,43,72,000	
05	Secretariat of the	Revenue	0	0	0	
03	Governor	Capital	0	0	0	

(See Sections 2 and 3)

	Services and purposes to which the appropriation relates		Sums not exceeding (In Rupees)				
Grant/ Appropriation number		Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total		
1	2	3	4	5	6		
0.6		Revenue	3,98,27,50,000	0	3,98,27,50,000		
06	Election Department	Capital	0	0	0		
07		Revenue	0	0	0		
07	Vigilance Department	Capital	0	0	0		
00	Art, Culture and Youth	Revenue	0	0	0		
08	Department	Capital	0	0	0		
00		Revenue	16,23,18,000	0	16,23,18,000		
09	Co-operative Department	Capital	0	0	0		
10	Energy Department	Revenue	16,93,00,00,000	0	16,93,00,00,000		
10		Capital	0	0	0		
1.1	BC and MBC Welfare Department	Revenue	0	0	0		
11		Capital	0	0	0		
10	E. B	Revenue	14,64,50,000	0	14,64,50,000		
12	Finance Department	Capital	76,70,04,00,000	0	76,70,04,00,000		
12	laterest Decrees	Revenue	0	0	0		
13	Interest Payment	Capital	0	0	0		
1.4		Revenue	0	0	0		
14	Repayment of Loans	Capital	0	0	0		
1.5		Revenue	77,20,00,000	0	77,20,00,000		
15	Pension	Capital	0	0	0		
1.6	Panchayati Raj	Revenue	69,14,56,000	0	69,14,56,000		
16	Department	Capital	0	0	0		
17	Commercial Tax	Revenue	0	0	0		
17	Department	Capital	0	0	0		
	Food and Consumer	Revenue	6,07,19,000	0	6,07,19,000		
18	Protection Department	Capital	0	0	0		

(See Sections 2 and 3)

			Sums not exceeding (In Rupees)			
Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
	Environment , Forest and	Revenue	1,000	0	1,000	
19	Climate Change Department	Capital	35,71,000	0	35,71,000	
•		Revenue	74,42,35,000	0	74,42,35,000	
20	Health Department	Capital	17,51,29,000	0	17,51,29,000	
21	Education Department	Revenue	5,49,34,00,000	0	5,49,34,00,000	
21	Education Department	Capital	3,00,00,00,000	0	3,00,00,00,000	
22	Hama Danartmant	Revenue	78,11,34,000	0	78,11,34,000	
22	Home Department	Capital	79,68,00,000	0	79,68,00,000	
23	Industries Department	Revenue	3,00,01,000	0	3,00,01,000	
23		Capital	0	0	0	
24	Information and Public	Revenue	7,00,000	0	7,00,000	
24	Relation Department	Capital	0	0	0	
25	Information Technology	Revenue	4,00,00,000	0	4,00,00,000	
23	Department	Capital	0	0	0	
26	Labour Resource	Revenue	17,54,85,000	0	17,54,85,000	
20	Department	Capital	0	0	0	
27	Law Department	Revenue	5,00,000	0	5,00,000	
21	Law Department	Capital	0	0	0	
28	High Court of Bihar	Revenue	0	0	0	
20	High Court of Birial	Capital	0	0	0	
20	Mines and Geology	Revenue	0	0	0	
29	Department	Capital	0	0	0	
20	Minorities Welfare	Revenue	0	0	0	
30	Department	Capital	7,50,00,000	0	7,50,00,000	
21	Parliamentary Affairs	Revenue	0	0	0	
31	Department	Capital	0	0	0	

(See Sections 2 and 3)

			Sums	not exceeding (In R	upees)
Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total
1	2	3	4	5	6
		Revenue	0	0	0
32	Legislature	Capital	0	0	0
	General Administration	Revenue	6,20,00,000	0	6,20,00,000
33	Department	Capital	0	0	0
2.4	Bihar Public Service	Revenue	0	0	0
34	Commission	Capital	0	0	0
2.7	Planning and	Revenue	18,05,78,000	0	18,05,78,000
35	Development Department	Capital	43,48,00,000	0	43,48,00,000
	Public Health Engineering Department	Revenue	1,000	0	1,000
36		Capital	0	0	0
27		Revenue	10,00,00,00,000	0	10,00,00,00,000
37	Rural Works Department	Capital	1,00,00,00,000	0	1,00,00,00,000
20	Prohibition, Excise and	Revenue	12,79,60,000	0	12,79,60,000
38	Registration Department	Capital	0	0	0
39	Disaster Management	Revenue	2,14,84,000	0	2,14,84,000
39	Department	Capital	0	0	0
40	Revenue and Land	Revenue	50,98,97,000	0	50,98,97,000
40	Reforms Department	Capital	0	0	0
41	Road Construction	Revenue	0	0	0
41	Department	Capital	0	0	0
42	Rural Development	Revenue	0	0	0
42	Department	Capital	0	0	0
43	Science and Technology	Revenue	8,68,60,000	0	8,68,60,000
43	Department	Capital	0	0	0
44	SC & ST Welfare	Revenue	45,15,05,000	0	45,15,05,000
77	Department	Capital	0	0	0

(See Sections 2 and 3)

			Sums	Sums not exceeding (In Rupees)		
Grant/ Appropriation number	Services and purposes to which the appropriation relates	Revenue Capital	Grant made by the Bihar Legislature	Charged on the Consolidated Fund of the State	Total	
1	2	3	4	5	6	
45	Sugar Industries	Revenue	0	0	0	
43	Department	Capital	0	0	0	
46	Tauxiam Danastmant	Revenue	7,48,89,000	0	7,48,89,000	
46	Tourism Department	Capital	0	0	0	
47	Transport Department	Revenue	0	0	0	
47		Capital	0	0	0	
40	Urban Development and Housing Department	Revenue	1,80,76,95,000	0	1,80,76,95,000	
48		Capital	50,00,00,000	0	50,00,00,000	
	Water Resources	Revenue	0	0	0	
49	Department	Capital	0	0	0	
50	Minor Water Resource	Revenue	7,18,00,000	0	7,18,00,000	
50	Department	Capital	80,00,00,000	0	80,00,00,000	
£1	Social Welfare	Revenue	11,33,21,61,000	0	11,33,21,61,000	
51	Department	Capital	23,06,27,000	0	23,06,27,000	
	Tota	I Revenue	56,62,70,48,000	0	56,62,70,48,000	
	То	tal Capital	86,67,36,09,000	0	86,67,36,09,000	
	G	rand Total	1,43,30,06,57,000	0	1,43,30,06,57,000	

By Order of the Governor of Bihar, Sanjay Kumar, Under Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 884-571+400-डी0टी0पी0।

Website: <a href="http://egazette.bih.nic.in">http://egazette.bih.nic.in</a>